भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AB 509250

कार्यालय-[illegible]-वाराणसी

द्वारा नकल [illegible] 488 2011 [illegible] लेखपत्र

संख्या... 8656 2010....की

[illegible] 21........।

[illegible]

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

([illegible])

सुनने वाला-श्री[illegible]

(नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] नि०-II

वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

देश UTTAR PRADESH T 309203

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना / तहसील : देहात अमानत / सदर
3. ग्राम : करौंदी, जिला वाराणसी।
4. सम्पत्ति का विवरण : आराजी नम्बर मि0 296.
5. मापन की ईकाई : वर्गमीटर
6. आराजी का क्षेत्रफल : 148.54 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) गैर चिन्हित कालोनी सड़क
8. अन्य विवरण (9मीटर रोड/कार्नर) : कार्नर भूखण्ड
9. आराजी का प्रकार (प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान) : लागू नहीं

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
मुरारी तिवारी
दे० बे० लि०

उ० नि०-II
वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्रीमती [illegible] पाण्डेय
(नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उप नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309204

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

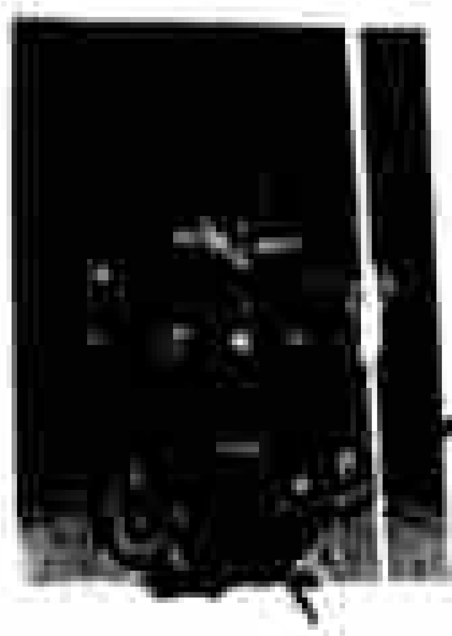

10. आराजी का कुल क्षेत्रफल : 148.54 वर्गमीटर
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नही
12. स्थिति (फिनिश्ड/सेमीफि) : लागू नही
13. पेड़ो का मूल्यांकन : कुछ नही
14. बोरिंग/कुआं अन्य : कुछ नहीं
15. निर्मित क्षेत्रफल : लागू नही
16. निर्माण का वर्ष : लागू नही
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है : नहीं
18. प्रतिफल धनराशि : 3,00,000/-
19. सरकारी मालियत : 8,50,000/-
20. देय स्टाम्प : 59,500/-

[illegible] प्रताप सिंह
[illegible] लि०

[illegible] तिवारी
दे० बे० लि०

उप निबन्धक-II
वाराणसी

पढ़ने वाला [illegible] वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)

सुनने वाला [illegible] पाण्डेय
(नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक-II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309205

चौहदी :-

पूरब : सड़क करौंदी-आई०टी०आई० मार्ग।

पश्चिम : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

प्रथम पक्ष की संख्या-(6) द्वितीय पक्ष की संख्या - (1)

नागेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय, विश्वमोहन उपाध्याय, राजेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्रगण स्वर्गीय राजमोहन

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
लि० लि०
कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० ह० लि०
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

देश UTTAR PRADESH

T 309221

उपाध्याय सभी निवासीगण मौजा बनौली, परगना चैनपुर, जिला आरा, (शाहावाद) बिहार वर्तमान निवासीगण मकान नम्बर बी-33/11 ए-5क, नरियां, शहर वाराणसी।

.... प्रथम पक्ष/विक्रेतागण

व

अनुज कुमार डिडवानियां पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश डिडवानियां निवासी लेन नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी।

.... द्वितीय पक्ष/क्रेता

ला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि० लि०)

ला-श्रीमती ... पाण्डेय (नि० लि०)

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह नि० लि०

श्री कृष्ण मुरारी सिं... दे० के० लि०

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309220

देश UTTAR PRADESH

(5)

विदित हो कि प्रथम पक्ष के पिता ज्योतिषाचार्य, पंडित राजमोहन उपाध्याय ने मौजा करौदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित आराजी नम्बर 296 रकबा 1 एकड़ 4 डिसमिल जरिये रजिस्ट्रीशुदा बैनामा मोरखा 10-02-1964 नविस्ता नादेश्वरी कुंवर वगैरह मौसूमा खुद बएवज कीमत कामिल क्रय कर हासिल किया है बैनामा मजकूर का इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, वाराणसी में बही नम्बर 1, जिल्द 3784 के पृष्ठ 308/312 पर बनम्बर 878 दिनांक 17-02-1964 को हुई है। तारीख बैनामा मजकूर से पिता प्रथम पक्ष आराजी मजकूर पर बहैसियत तनहां मालिक भूमिधर काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना ताहयात खुद अमल में लाते रहे और उनका नाम भी कागजात माल खतौनी में बहैसियत मालिक भूमिधर बमुजिब बैनामा मजकूर मुन्दर्ज रहा। पिता मजकूर के स्वर्गवास के पश्चात् हम प्रथम पक्ष बवजह होने कानूनी वारिसान व पुत्रगण अपने पिता की समस्त चल अचल जायदाद के मालिकान व काबिज दखील हुए जुज

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.M. Vadhyay

उप नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH T 309219

रकबा आराजी मजकूर पूर्व मे ही मुनाफिल हो चुका है। आराजी मजकूर का रकबा 0.147 हेक्टेयर हम प्रथम पक्ष के नाम तनहां बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर कागजात माल खतौनी मे दर्ज है जिस पर हम प्रथम पक्ष बहैसियत मालिकान काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना अमल मे लाते चले आ रहे है और जो हर तुक्श मिल्कियत से पाक साफ व बेखलिश है और जिसके बाबत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को कुल हुम हक मालिकाना मय हकूक इन्तकालात हर एकसाम हासिल है जो चाहे सो करे सरेदस्त हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को रुपयों की असद जरूरत वास्ते खर्च खानगी व दीगर कार जरूरियात के दरपेश है और बिना आराजी उपरोक्त को विक्रय किये रुपयों का मिलना व. जरूरियात वाला का रफा होना नामुमकिन है लेहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने उपरोक्त आराजी हसब तफसील जैल को विक्रय कर अपने जरूरियात . मजकूर को रफा करना वाजिब व मुनासिब समझा। बय की बातचीत आम लोगों मे चलायी जिस पर द्वितीय पक्ष/क्रेता

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
कृष्ण मुरारी निवा...

V. M. Upadhyay

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

UTTAR PRADESH

T 309276

(7)

अनुज कुमार डिडवानियां पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश डिडवानियां निवासी लेन नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी, प्रथम पक्ष की आराजियात मजकूर का जुज हसब तफसील जैल बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) खरीदने को आमादा व तैयार है जो कीमत बलिहाज स्थिति आराजी व मौजूदा बाजार भाव के उचित व मुनासिब है तथा इतना या इससे अधिक कीमत देने को कोई दूसरा सख्श तैयार नहीं है, अतः प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आराजी उपरोक्त हसब तफसील जैल को द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त के हक में मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) में विक्रय करने की बातचीत तय व पक्का कर लिया है। प्रथम पक्ष द्वारा आराजी मजकूर के बाबत बहक द्वितीय पक्ष बैनामा तहरीर व रजिस्ट्री करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। द्वितीय पक्ष/क्रेता अपने हक में बैनामा तहरीर कराने को प्रस्तुत है लिहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण आराजी हसब तफसील जैल का विक्रय पत्र बएवज

नागरी

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

Rajendra

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० वे० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

नागरी

V. M. Upadhyay

Rajendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309275

(8)

कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) कि निस्फ जिसका 1,50,000/- रुपया होता है बहक व वदस्त द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर अपने स्वस्थ मन से प्रसन्नचित्त होकर बिना किसी जोर या दबाव के तहरीर व तकमील कर अपने को व अपने वारिसान व कायम मुकामानों को निम्नलिखित शर्तों से आवद्ध करते व होते हैं :-

1. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल तयशुदा कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) नगद कवल तहरीर बैनामा हाजा द्वितीय पक्ष/क्रेता से प्राप्त कर लिया है जिसकी पावती आज बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा हाजा रुबरु सब रजिस्ट्रार साहब, वाराणसी स्वीकार करते है। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता के जिम्में बावत जर समन बैनामा हाजा हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का एक भी पैसा बाकी नहीं रहा यदि इसके विपरीत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कोई उज्र या ऐतराज बावत अदायगी जरे समन बैनामा प्रस्तुत करते है तो वह बमुकाबिले बयनामा हाजा बातिल व नाजायज मुतसव्वर होगा।

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
लि० लि०
श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० बे० लि०

V. M. Upadhyay

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309274

(9)

2. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आज की तिथि में विक्रयशुदा आराजी पर से अपना वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल हटाकर वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष/क्रेता का करा दिया है जो-जो हक व अख्तियारात हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को मुत्तालिक आराजी विक्रयशुदा हासिल है वे सभी आज की तिथि से बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर कतई तौर से बय व मुन्तकिल हो गये। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर बतौर तनहां मालिक काबिज व दखील रहकर उसका पूर्ण रुपेण उपयोग व उपभोग अपने मनमाफिक करें अथवा जो चाहे सो करें इसमें प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को न कोई एतराज है न आईन्दा होगा।

3. यह कि अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर से माल व अन्य सरकारी कागजातों से प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का नाम खारिज कराकर उस पर अपना नाम

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. H. Vadhyay

श्री वि्रेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० दे० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

V. M. Vadhyay

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH

R 569201

बतौर तवहां मालिका के दर्ज करवा लेवें व मालगुजारी वगैरह जो भी आयद हो उसे जमाकर अपने नाम से रसीद हासिल किया करें। आज के पहले के देयों के अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की होगी।

4\. यह कि विक्रयशुदा आराजी हर तरह के वारदेन नुक्स मिल्कियत आदि से पाक साफ है, कहीं किसी तरह से रेहन बंधक, बय, सट्टा, कुर्की, जमानत, मुकदमेबाजी, अवाप्ति आदि से प्रभावित नहीं है। प्रथम पक्ष/विक्रेतागण के स्वामित्वाधिकार में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। गर खिलाफ इसके आराजी विक्रयशुदा में किसी प्रकार का कोई नुक्श पाया जावे जिसकी वजह से या बवजह पंल ख्वाह तर्क फेल हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कुल ख्वाह जुज आराजी विक्रयशुदा पर से द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर का कब्जा दखल निकल जावे या कोई बार मुतालिक आराजी मजकूर अदा करना पड़े तो बहर सूरत द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर को हक हासिल

श्री-विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० ब्रि०
श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० न० ब्रि०

उप नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 569202

है व होगा कि कुल जरे समन बैनामा मय हर्जा खर्चा ख्वाह जिस कदर नुकसानी हो मय सूद दो रुपया सैकड़ा माहवारी हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे।

5. यह कि विक्रयशुदा आराजी आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रयशुदा आराजी का रजिस्टर्ड सट्टा किसी पक्ष के हक में नहीं हुआ है। विक्रयशुदा भूमि बशकल खुली आवासीय भूमि हैं जिस पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है।

6. यह कि प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता हरिमोहन उपाध्याय ने किता मुख्तारनामा आम दिनांकित 28-06-2010 बहक सगे भ्राता प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता चन्द्रमौलि उपाध्याय तहरीर कर पंजीकृत कराया है जिसका इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, द्वितीय, वाराणसी में पुस्तक संख्या 4, खण्ड 81 के पृष्ठ 239 लगायत 248 पर क्रमांक 215 दिनांक 28-06-2010 को हुई है जो

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
श्रीमती ... पाण्डेय
(नि० लि०)
उप नि० II
वाराणसी

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
श्री कृष्ण मुरारि त्रिपाठी
द० ले० लि०
उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

K 249518

अद्यतन कायम व प्रभावी है और मुकिर चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय बैनामा हाजा तहरीर कर पंजीकृत करा रहा है।

7. यह कि विक्रयशुदा आराजी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्राविधानों से प्रभावित नहीं है। विक्रयशुदा आराजी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की नहीं है। पक्षगण भारतीय नागरिक है व उनके नाम व पते अंकित बैनामा हाजा वास्तविक व सही है।

8. यह कि विक्रयशुदा जायदाद सामान्य पक्की सड़क पर वाका है और जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित किसी मार्ग पर स्थित नहीं है तथा नगर निगम वाराणसी सीमा के बाहर देहात के अविकसित आवासीय क्षेत्र में स्थित है जिसके आस पास कोई व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान नहीं है।

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

Rajendra

ला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह

ला-श्री कृष्ण मुरारी

नागरी

N. M. Upadhyay

Rajendra

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

K 249517

प्रदेश UTTAR PRADESH

9\. यह कि सरकारी दर से विक्रीत आराजी में भूमि की कीमत रु0 5200/- प्रति वर्गमीटर की दर से 148.54 वर्गमीटर का रु0 7,72,408/- रुपया होती है जिसमें कार्नर भूखण्ड की देयता 10 प्रतिशत यानि 77,241/- जोड़ने पर कुल सरकारी मूल्यांकन 8,49,649/- रुपया होती है जिसके पूर्णांक मु0 8,50,000/- रुपये पर स्टाम्प नियमानुसार मु0 59,500/- रुपये का अदा किया जा रहा है।

10\. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल मजमून बैनामा हाजा को बखूबी पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर इसके विधिक प्रभाव से भंली-भांति अवगत होकर बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर तहरीर किया है जिसकी पूरी पाबन्दी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर है व रहेगी।

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

V. M. Upadhyay

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

प्रदेश UTTAR PRADESH

K 249516

इस वास्ते प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने यह तहरीर बतौर बयनामा लायदावामी के बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

<u>विवरण आराजी बिक्रयशुदा</u>

आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर में से रकबा 1598.34 वर्गफीट यानि 148.54 वर्गमीटर वाका मौजा - करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग की तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है व जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित है :-

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. H. Vadhyay

...प्रताप सिंह

नि० लि०

...कृष्ण मुरारी तिवारी

दे०वे० लि०

V. H. Vadhyay

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रू.1000 Rs.1000

K 249515

प्रदेश UTTAR PRADESH

(15)

पूरब : सड़क करौदी-आई०टी०आई० मार्ग।

पश्चिम: जुज आराजी मजकूर जो आज वहक शशांक केजरीवाल क्रय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

तहरीर तारीख :- 03-12-2010.

गवाहान :-

1. नाम : Ashok Kumar Pandey
पिता का नाम : Shri V K r Pandey
पूरा पता : K-61/96 Betlamila VARANASI
हस्ताक्षर : A.K. Pandey

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.M. Upadhyay

वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह

वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी

V.M. Upadhyay

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH (16) E 136512

2. नाम : Chandra Shekhar Giri
पिता का नाम : Sri Nandlal Giri
पूरा पता : G. No. T. 6.13 Bhadaini Chungi
हस्ताक्षर : Raj Ganj Varanasi

मसविदाकर्ता :-
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाईपकर्ता :-
मनोज यादव
मनोज यादव
चैम्बर नं0 5, कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

चन्द्रमौली उपाध्याय
चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Vadhyay
Rajendra

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
मि० लि०
कृष्ण मुरारी तिवारी
टं० बे० लि०
V. M. Vadhyay
उ० नि० II
वाराणसी

(18)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

निष्पादन कर्ता/विक्रेता

बाँये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

निष्पादन कर्ता/विक्रेता

बाँये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० प० लि०

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्रीमती [illegible]
(नि० लि०)
सत्य प्रतिलिपि

उप नि० II
वाराणसी

उप नि० II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

(19)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

निष्पादन कर्ता/विक्रेता

बाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

चन्द्रमौलीउपाध्याय

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

V. M. Uadhyay

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
सि० रि०

सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी ...
दे० प० लिo

उप नि० II
वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(सि० रि०)

सुनने वाला-श्रीमती ...
(सि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उप नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

निष्पादन कर्ता / विक्रेता क्रेता

...ये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

...हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

...निष्पादन कर्ता/विक्रेता

...हिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

...ये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री [illegible] प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्री [illegible] पाण्डेय
(नि० लि०)
सत्य प्रतिलिपि
[illegible] नि०-II
[illegible]

पढ़ने वाला-श्री [illegible] प्रताप सिंह
नि० लि०
सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी [illegible]
[illegible]

[illegible] II
[illegible]

Scanned by CamScanner